

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'दस'

[21/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 2988]

पादे शीष्ट

E-mail ID - podudaashoknagar@mpurban.gov.in एवं emoashoknagar@mpurban.gov.in,

(☎ :- + 07543- 224188/Fax No :- 07543- 224188)

तारांक-2988

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/वि.स./डूडा/2017/82-25
प्रति,

दिनांक 07.03.2017

- | | |
|---|---|
| 1) अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) अशोकनगर | 2) तहसीलदार
(राजस्व) अशोकनगर |
| 3) थाना प्रभारी
अशोकनगर | 4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद अशोकनगर |

विषय :- अशोकनगर के नगरपालिका सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जे। (तारांकित प्रश्न क्रमांक 2988 माननीय विधानसभा सदस्य, श्री महेन्द्रसिंह कालूखेडा) के संबंध में।
संदर्भ :- अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल का पत्र क्र. /शाखा-02/वि.स.प्र.क्र. 2988/2017/3777 भोपाल दिनांक 03.03.2017

—:00:—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि अपर आयुक्त के संदर्भित पत्र के साथ विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2988 माननीय विधानसभा सदस्य, श्री महेन्द्रसिंह कालूखेडा का प्राप्त हुआ है। संलग्न है। जिसके द्वारा न.पा. अशोकनगर का सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जे से संबंधित है। परन्तु अभी तक स्व. देशराज सिंह यादव के भवन के सामने सामुदायिक भवन से अवैध कब्जा नहीं हटा है। इस कब्जे को हटाये जाने हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है।

1. तहसीलदार (राजस्व) अशोकनगर
2. थाना प्रभारी अशोकनगर
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर

उपरोक्त भवन से अवैध कब्जा शीघ्र हटाया जावे एवं कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिये पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था थाना प्रभारी द्वारा की जावेगी। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार)

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक 07.03.2017

अशोक शर्मा
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक/वि.स./डूडा/2017

प्रति :-

1. कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)